



न्यायालय भूमी सुधार अधिनियम 1948 के तहत

परामर्श क्रमांक नं. _____/023

कोकिला देवी पति स्व० शंकरदास मल्लो का० पाड़ी थाना कलमर जिला -
बनाम - कोकिला - आवेदिका

कमलेश्वर मल्लो पिता शंकरदास मल्लो का० पाड़ी थाना कलमर जिला कोकिला
आवेदन आनीव आवेदिका की ओर से - केता
कोयनापुर नगर करी अधिनियम की धारा 46(1) की
तहत जमीन विक्री करने का आदेश जारी है।

- यह कि आवेदिका कोकिला पाड़ी थाना कलमर जिला कोकिला स्थित सखी खता
नं 23 के सखी खत-खतना मल्लो के बनाम में है।
- यह कि आवेदिका अपनी पुत्री की शादी स्वर्ध्व हेतु खतना इंतजाम करने हेतु
उपरोक्त खता 23 के अंतर्गत प्लॉट 351 में कुल एकवा 1-65 एकड़ के मयोज्जवा
2250 पमीन को विक्री करने का वात-तेह का प्रयत्न है।
- यह कि जमीन विक्री करने के आलावे खतना इंतजाम होने का दुसरा शर्तनाम
है -
- यह कि केता इस निजी हल के माध्यम पड़ताल करने के पश्चात् जमीन प्रय
करने में सक्षम हुये हैं जिसका वाजीव बाजार मूल्य मो० 80,000/- में तैयार है।
- यह कि आवेदिका इस उपर वर्णित खता - प्लॉट की रकवा 02250 बोविक्री
करने के बाद भी निर्मानी की दमी में ली जाती है तथा प्रमाण जमीन बचता है
- यह कि आवेदिका एवं केता एक ही गांव का मुहल्ला कोकली थाना के निवासी
हैं।

अतः आवेदिका के आवश्यकता को देखते हुए वर्णित
खता प्लॉट बीरकवा 2250 के मयोज्जवा के माध्यम
विक्री करने हेतु आदेश जारी करने की इच्छा
प्रकट किया जाता है।

जिसके लिए आवेदिका से देय क्षतिपूर्ति की गयी है।

1
[Signature]
2023

• आभार धनी सुधार उपसमिति के लिये तबियत
प्राप्ति के लिये — 1023

कोकिला देवी — आवेदिका
कमलेश्वर महाराज — केता

क्यावली जानीप आवेदिका की ओर —

लाल महाराज स्वर्णेश्वर महाराज, पुष्प महाराज सर्वे सैन्य प्रान्त 23
मोजा पाड़ी



तीजन महाराज



कोकिला देवी
(आवेदिका)



कोकिला देवी

आनीप आवेदिका

6/9/23
Adv.
01/09/2023